

जिलाधीन वकील की ओर से प्रतिवादी 1
दूर स्थित है किन्तु बाद लेने से बाद जाति
करने का मत आपना पत्र पेश किया।
जिसकी कोपी वादी वकील को ही जाकर
पत्रावली कास्ते जवाब आपदा दिनांक 6/12/2021
को पेश हो।



6/12/2021 पत्रावली पेश। श्रीमान P.O. साखर
प्रशासन गांवों के संग आप्रियान के
असर होने से पत्रावली आपदा दिनांक
20/01/2022 को पेश हो।



20/1/2022 पत्रावली आज पेश हुई। वादी व
वादी वकील अनुपस्थित। वादी व वादी
वकील को रुक-रुक कर तीन बार
भावज डिलारी गरी। वादी व वादी
आधिवक्ता की ओर से कोर्ट उपस्थित
थी हुआ। अतः वादी का वाद
अदम लाजरी अदम पैरवी में खारीज
किया जाता है। पत्रावली फेसल शर्कार
होकर नम्बर से कम हो। निर्णय
सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
रानीबाग जिला-जालंधर

